जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 153 वीं बैठक दिनांक 21.09.2010 को प्रातः 10:00 बजे, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2 ,3 व.न.नि. (बीपीसी) द्वारा, एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1, 2, 3, 4 एंव 5 व.न.नि. (बीपीसी) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 1 तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 6 एवं 7 वननि (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमति शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री एस.एम. कुरैशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री पी. अरविंद, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री राजेन्द्र विजय उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एस, मित्रा., उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री सुभाष चन्द शर्मा, उप नगर नियोजक (एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
7. श्री प्रेमशंकर,, उप नगर नियोजक (एल.पी) जविप्रा जयपुर।
8. श्री अनंत देव टांक, उप नगर नियोजक (जोन–1) जविप्रा जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्याः–1

153/20.09.2010

विषयः– बीपीसी (ले आउट प्लान) 152 वीं बैठक दिनांक के 27.08.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि के सबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2

152/27.08.2010 (जोन–5)

विषयः– श्याम नगर थाने को श्याम नगर योजना में आवंटित भूखण्ड को योजना मानचित्र में दर्शाये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। भूमि सम्पत्ति की बैठक दिनांक 20.01.1989 में सुविधा क्षेत्र की भूमि को श्याम नगर थाने हेतु पुलिस चौकी एवं स्टाफ क्वार्टर वास्ते भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। स्वीकृत योजना मानचित्र में इस भूमि का उपयोग सुविधा क्षेत्र हेतु दर्शाया हुआ है। योजना मानचित्र में इस सुविधा क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाया हुआ है यह सुविधा क्षेत्र भूखण्ड संख्या ए–1 व ए–19ए के पास में है। विचार–विमर्श पश्चात् इस सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज पुलिस थाने हेतु निर्धारण किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–3

152/27.08.2010 (जोन–5)

विषयः– नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना निर्माण नगर–डी के भूखण्ड संख्या 13–ए को नियमित किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन ने बैठक में अवगत कराया कि सहकारी समिति द्वारा इस भूखण्ड का आवंटन पत्र योजना अनुमोदन के पश्चात् प्रार्थिनी को जारी किया है। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में इस भूखण्ड का उल्लेख नहीं है तथा आवेदक के नाम का उल्लेख भी नहीं है इसलिए विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावें।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अति. एजेण्डा संख्या–1

153/20.09.2010 (जोन–11)

विषयः– सेक्टर 51, 52, 53 में स्थित जयसिंहपुरा से रिंग रोड तक की 200' सेक्टर रोड में संशोधन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सेक्टर 51, 52, 53 में जयसिंहपुरा से महापुरा जाने वाली सडक की लंबाई अधिक है, यह सडक मौके पर 40' चौडी वर्तमान में उपलब्ध है इसलिये 40' चौडी भूमि कम आवाप्त करनी होगी, रिंग रोड पर दोनों सडकों के मध्य 250 मीटर की दूरी ही है, इसलिये सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 200' चौडी सडक के स्थान पर 60' चौडी सडक को ही 200' किये जाने से रिंग रोड पर पंचरों की संख्या में कमी होगी, खातेदारों से समान भूमि ली जानी होगी। इन कारणों से बीपीसी (एलपी) की 151वीं बैठक दिनांक16.07.2010 में इसी सडक को 200' किये जाने के सबंध में आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया था।

निर्णयानुसार दिनांक 06.08.10 को दो समाचार पत्रों में जोन द्वारा आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे निर्धारित 7 दिवस की अवधि में कोई आपति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये थे। अतः विचार विमर्श पश्चात् सेक्टर प्लान में प्रस्तावित जयसिंहपुरा से महापुरा जाने वाली सडक को ही 200' किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–2
153/20.09.2010 (जोन–11)

विषयः– सेक्टर 51, 52, 53 में स्थित मून्दडा फार्म हाउस के अन्दर से 100' चौडी सेक्टर रोड के संशोधन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष एजेण्डा उपायुक्त जोन द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श के पश्चात् प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–3
153/20.09.2010 (जोन–4)

विषयः–न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कृष्णा विहार का नवीन मौका सर्वे अनुसार संशोधन योजना अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह योजना पूर्व में स्वीकृत योजना है जिसमें 16 भूखण्ड स्वीकृत है तथा शेष भूखण्डों में फैक्ट्रीया होने के कारण उन भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया गया था जोन द्वारा इस योजना का पुनः सर्वे करवाया गया मौके की स्थिति के अनुसार जो भूखण्ड पूर्व में स्वीकृत है उनमें फैक्ट्रीया लग गई है तथा जिन भूखण्डों में फैक्ट्रीया दर्शायी थी वह भूखण्ड खाली हो गये है।

समिति ने विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि मौके की रिपोर्ट अनुसार जिन भूखण्डों में फैक्ट्री लगी है उन्हें अस्वीकृत किया जावे। जो भूखण्ड खाली है या जिन भूखण्डों का आवासीय उपयोग हो रहा है उन्हें स्वीकृत किया जावे।

अति. एजेण्डा संख्या–4
153/20.09.2010 (जोन–4)

विषयः–दी फोरेस्ट व्यू गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नन्द विहार ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना में आवासीय क्षेत्रफल 73.52 प्रतिशत है, आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग से पूर्व में ही दिनांक 26.05.2010 को स्वीकृति ली जा चुकी है। योजना का मुख्य सडक का लिंक शंकर विहार ई योजना से है जिसमें इस सडक की चौडाई 40' है इसलिए इस येाजना में भी इस सडक की चौडाई 40' करते हुए योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–5
153/20.09.2010 (जोन–1)

विषयः–श्रीमती माया बूलचन्दानी भूखण्ड संख्या 23 सेन कोलोनी को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 5482/90 के निर्णय दिनांक 28.10.2009 के क्रियान्वित के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2009 के क्रम में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.12.2007 के तहत इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्ति के संबंध में प्रकरण को बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 22.05.2009 में विचारार्थ रखा गया था। इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने पर योजना में आवासीय क्षेत्र 75 प्रतिशत से अधिक होने के कारण प्रकरण को राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया था। निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार को पत्र दिनांक 10.06.2009 को लिखा गया था। इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में राज्य सरकार से दिनांक 12.10.2009 के आदेश प्राधिकरण में प्राप्त हुए। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था कि राज्य सरकार द्वारा इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्ति के संबंध में प्राधिकरण को आदेश दिनांक 12.10.2009 को भिजवा दिया है।

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका सं. 5482/1990 का निर्णय दिनांक 28.10.2009 को दिया जिसमें इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर श्रीमती माया बुलचन्दानी को इस भूखण्ड का पट्टा एक महीने के दिए जाने के संबंध में है।

उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को मध्यनजर रखते हुए समिति द्वारा इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर पट्टा दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–6
153/20.09.2010 (जोन–7)

विषयः–जय चामुण्डा की कृष्णा नगर योजना के भूखण्ड संख्या 38 के बढे हुये क्षेत्र के नियमन के सबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 38 का क्षेत्रफल लम्बाई एवं चौडाई में बढा हुआ है एवं योजना अनुसार भूखण्ड के सामने 160' एवं 30' निर्धारित है जो मौके पर उपलब्ध है। प्रश्नगत भूखण्ड कॉर्नर पर स्थित होने के कारण सुगम यातायात संचालन हेतु 30' चौडी सडक के सामने की तरफ उपलब्ध अधिक भूमि को छोडकर, भूखण्ड के कार्नर पर 20' रेडियस की गोलाई देते हुये 160' के सामने स्थित बढे हुये क्षेत्र 95.89 वर्गगज का नियमानुसार आवंटन/ नियमन जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा /2002/2022 दिनांक 14.03.2000 के अनुरूप निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर आवंटन/ नियमन की कार्यवाही की जावे। बढे हुये क्षेत्र 95.89 वर्गगज के साथ भूखण्ड का क्षेत्रफल (46'6"X (112'+105'3")/2)-10.92) 550.31 वर्गगज रखी जावेगी ।

अति. एजेण्डा संख्या–7
153/20.09.2010 (जोन–7)

विषयः–पुर्नगठन व उप–विभाजन की कार्यवाही में आ रही कठिनाईयों के सबंध में नीतिगत निर्णय लिये जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पुर्नगठन व उपविभाजन के प्रकरणों में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु संख्या 1 के संदर्भ में विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. साईड व पीछे के सैटबैक में अवैध निर्माण होने की स्थिति के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु संख्या 1 के तहत वांछित शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात् उपविभाजन /पुर्नगठन की कार्यवाही नियमानुसार संपादित की जावे।
2. सामने के सैटबैक अनाधिकृत निर्माण 10 वर्ष पूर्व का होने बाबत् आवश्यक दस्तावेज/साक्ष्य प्रार्थी से प्राप्त किया जाकर जोन स्तर पर परीक्षण किया जाना अपेकक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तु दस्तावेज/साक्ष्य के आधार पर अनाधिकृत निर्माण 10 वर्ष पुराना सिद्ध नहीं होने की स्थिति मे उपविभाजन/पुर्नगठन की कार्यवाही नहीं की

जावे। राज्य सरकार के परिपत्र 19.02.2010 के अनुसार सामने सैटबैक में निर्माण 10वर्ष पूर्व का हो तो बीपीसी (एल.पी.) के स्तर पर शिथिलता दी जावेगी।

3. जिन भूखण्डों के आधे भाग में पैरामीटर्स के विपरित निर्माण कर रखा हो तो तथा शेष रिक्त भाग जो सैट बेक ऐरिया नही है को विक्रय कर दिया गया हो तो ऐसे भूखण्डों के उपविभाजन की नियमानुसार कार्यवाही की जाकर रिक्त भूखण्ड/अनाधिकृत निर्माण रहित भूखण्ड के साईट प्लान जारी किये जा सकेंगें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2010/डी–284

दिनांक :– 13/10/10

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।